पच्चीसवाँ प्रतिवेदन

याचिका समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

नागर विमानन मंत्रालय

(15.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, 2021/ अग्रहायण, 1943 (शक)

सीपीबी. सं. 1 खंड XXV

©2021 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित.

विषय-सूची

पृष्ठ

याचिका समिति का गठन..... (ii)

प्राक्कथन..... (iii)

प्रतिवेदन

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कोलकाता में अनुकंपा के आधार पर अपनी नियुक्ति में अत्याधिक विलंब और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में श्री श्यामल कुमार दास के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 9वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई। 1

अनुबंध

चेयरमैन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उनकी टीम के साथ सचिव, नागर विमानन मंत्रालय के सभापतित्व में हुई बैठक का कार्यवाही सारांश। 19

अनुलंग्नक

याचिका समिति की 13.12.2021 को हुई 18वीं बैठक का कार्यवाही सारांश। *(संलग्न नहीं है)*

याचिका समिति का गठन

श्री हरीश द्विवेदी - सभापति

सदस्य

2. श्री एंटो एन्टोनी
3. श्री हनुमान बेनीवाल
4. डॉ. सुकान्त मजूमदार
5. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
6. श्री पी. रविन्द्रनाथ
7. श्री बृजेन्द्र सिंह
8. श्री सुशील कुमार सिंह
9. श्री मनोज तिवारी
10. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
11. श्री राजन विचारे
12. रिक्त
13. रिक्त
14. रिक्त
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री टी.जी.चन्द्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक
3. श्री जी.सी.डोभाल - अपर निदेशक
4. श्री हरिश कुमार शेठी - कार्यकारी अधिकारी

याचिका समिति का पच्चीसवाँ प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

प्राक्कथन

मैं, याचिका समिति का सभापति समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कोलकाता में अनुकंपा के आधार पर अपनी नियुक्ति में अत्याधिक विलंब और इससे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में श्री श्यामल कुमार दास के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 9वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति का यह 25वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) सभा में प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 13 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में 25वें प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और स्वीकार किया।

3. उक्त मुद्दों पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन में शामिल की गई है।

नई दिल्ली;

13 दिसंबर, 2021

22 अग्रहायण, 1943 (शक)

श्री हरीश द्विवेदी,

सभापति,

याचिका समिति

प्रतिवेदन

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कोलकाता में अनुकंपा आधार अपनी नियुक्ति में असाधारण विलंब और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में श्री श्यामलय कुमार दास के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

याचिका समिति (17वीं लोक सभा) ने 21 सितंबर, *2020* को लोक सभा में अपना नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो श्यामल कुमार दास का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कोलकाता में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति में असाधारण विलंब और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों संबंधी अभ्यावेदन से संबंधित था।

2. समिति ने इस मामले में कतिपय टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं और नागर विमानन मंत्रालय को सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा गया था और आगे समिति के विचारार्थ उस पर की गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

3. उपर्युक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय से की गई कार्रवाई उत्तर प्राप्त हुए हैं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों को अनुवर्ती पैराओं में विस्तार से दिया गया है।

4. प्रतिवेदन के पैरा *17* से *27* में, समिति ने निम्नवत टिप्पणियां/सिफारिशें की थी:-

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों से संबंधित मुद्दे /शिकायतें

"समिति ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कोलकाता के दिवंगत कर्मचारी स्वर्गीय सुशील कुमार दास के संबंधी श्री श्यामल कुमार दास की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति में अत्यधिक विलंब के बारे में उनके अभ्यावेदन की विस्तृत जांच की।

समिति नोट करती है कि श्री सुशील कुमार दास, पूर्व सहायक मैकेनिक को क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक कार्यालय, पूर्वी क्षेत्र, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में नियुक्त किया गया था तथा उनकी दिनांक 06.02.1988 को 55 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और वह मृत्यु के समय अविवाहित थे। स्वर्गीय सुशील कुमार दास के नामांकन पत्रों के अनुसार उनकी सेवान्त प्रसुविधाओं का भुगतान उनके भतीजे श्री श्यामल कुमार दास को किया जाना था। तदुपरांत, श्री श्यामल कुमार दास ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा आधार पर अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन किया । श्री श्यामल कुमार दास के मामले पर दिनांक 14.06.1989 को हुई रोजगार सहायता समिति (ईएसी) की बैठक में विचार किया गया परंतु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उनकी नियुक्ति की सिफारिश नहीं की गई कि आवेदक भारतीय विमानपत्त्न प्राधिकरण की रोजगार सहायता योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिवंगत कर्मचारी स्वर्गीय सुशील कुमार दास पर 'आश्रित' नहीं था ।

समिति यह भी नोट करती है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निर्णय से व्यथित श्री श्यामल कुमार दास ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा आधार पर अपनी नियुक्ति के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट

याचिका दायर की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उनके आवेदन की तारीख के समय लागू योजना अर्थात् रोजगार सहायता योजना 1978 को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता द्वारा नए सिरे से वर्ष 1989 और 1992 में किए गए आवेदन पर विचार करने का आदेश दिया । कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जून और नवंबर, 2005 के महीने में रोजगार सहायता समिति की बैठकें आयोजित की गईं जिनमें यह अवलोकन किया गया कि मृत्यु के समय स्वर्गीय सुशील कुमार दास अविवाहित थे और श्री श्यामल कुमार दास दिवंगत कर्मचारी के भतीजे हैं तथा चूंकि श्री श्यामल कुमार दास उनकी मृत्यु के समय पूर्णत- उन पर आश्रित नहीं थे इसलिए उन्हें अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देना रोजगार सहायता योजना के प्रावधानों के दायरे में नहीं आता है । इसके पश्चात् श्री श्यामल कुमार दास के मामले को इन आधारों पर अस्वीकार कर दिया गया कि उनके द्वारा अनुकंपा आधार पर नियुक्ति पर अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता।

. समिति यह भी नोट करती है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय दिनांक 09.11.2005 को सीएचक्यू की रोजगार सहायता समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं था और उसने अवमानना नोटिस जारी किया । इसके उत्तर में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की जिस पर उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2010 को अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ अपीलकर्ताओं (अर्थात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) को यह आदेश दिया था कि श्री श्यामल कुमार दास का नाम रोजगार सहायता योजना के अंतर्गत श्रेणी 'घ' में नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत व्यक्तियों की सूची में सम्मिलित किया जाए और जैसे ही और जब उनकी बारी आए, श्री श्यामल कुमार दास को किसी उपयुक्त पद पर उनकी आयु पर विचार किए बिना अनुकंपा आधार पर नियुक्त किया जाए। तदनुसार, श्री श्यामल कुमार दास को भारतीय

विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 9.7.2012 को पत्र द्वारा सूचित किया गया कि उनका नाम रोजगार सहायता योजना के अंतर्गत श्रेणी 'घ' के लिए प्रतीक्षारत् व्यक्तियों की सूची में सम्मिलित किया गया है और उनकी बारी आने पर उन्हें उनकी आयु पर विचार किए बिना अनुकंपा आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

समिति को यह भी अवगत कराया गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संसद के अधिनियम अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 द्वारा 1-4 -1995 को अस्तित्व में आया है। 1995 से 2008 तक अनुकंपा के आधार पर 709 लोगों की नियुक्तियां की गई थी तथा 2008 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकम्पा के आधार पर कोई नियुक्ति नही की गई है। समिति को यह भी सूचित किया गया कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए 47 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में थे और उच्चतम न्यायालय के दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 के निर्णय के अनुसार श्री श्यामल कुमार दास का नाम समूह घ श्रेणी के किसी पद पर अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा सूची में में 48वें स्थान पर शामिल किया गया था और समूह घ श्रेणी में प्रतीक्षा सूची में 47 व्यक्तियों का नाम श्री श्यामल कुमार दास से ऊपर है जिन पर नियुक्ति के लिए पहले विचार करना होगा जोकि उनकी स्वीकृति और उम्र के अध्यधीन है।

समिति भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा के आधार पर श्री श्यामल कुमार दास की नियुक्ति में अत्यधिक विलंब से संबंधित घटनाओं के संपूर्ण क्रम पर गंभीरता से विचार करते हुए यह जानकर आश्चर्यचकित है कि कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद नोडल मंत्रालय अर्थात नागर विमानन मंत्रालय ने श्री श्यामल कुमार दास के आवेदन पर न तो सहानुभूति पूर्वक आगे कोई कार्रवाई की है न ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय विमान

पत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा के आधार पर की जाने वाली नियुक्ति संबंधी मुद्दों की जटिलताओं का समाधान करने के लिए कोई दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए गए हैं कि अगले 5 वर्षों में समूह घ श्रेणी में कोई नियुक्ति नहीं होने वाली है तथा श्री श्यामल कुमार दास 60 वर्ष के हो जाएंगे जोकि अधिवर्षिता प्राप्ति पर सेवानिवृत्त की सामान्य आयु है। समिति अभ्यावेदनकर्ता के साथ पूर्णतः सहानुभूति जताते हुए महसूस करती है कि अनुकम्पा के आधार मृतक कर्मचारी(यों) के व्यक्ति(यों)/आश्रितों की नियुक्ति पर विचार करने वाले सम्पूर्ण तंत्र की विद्रूपता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश भी ऐसे लोगों की सहायता नहीं कर पाएगा।

समिति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों से निपटने में नागर विमानन मंत्रालय के कथन से पूर्णतः सहमत नही है। अतः समिति पुरजोर ढंग से महसूस करती है कि मंत्रालय को इस मुद्दे पर लीक से हटकर कुछ समाधान करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को अतिरिक्त वेटेज देने पर विचार करने हेतु तत्परता दिखानी चाहिए जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु अपनी बारी पर विशेष विचार किए जाने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और वे कुछ ही वर्षों में अधिवर्षिता की सामान्य उम्र प्राप्त करने वाले हैं। अतः समिति नागर विमानन मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह बिना समय गवाएं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार करने हेतु श्री श्यामल कुमार दास सहित ऐसे सभी मामलों पर विचार करें। समिति मंत्रालय द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति बंद करने के लिए एएआई बोर्ड के निर्णय की समीक्षा

नागर विमानन मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति का मामला वर्ष 2018 में एएआई बोर्ड के समक्ष रखा गया था और विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की योजना को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया था।

समिति को दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डे पर श्रम शक्ति की पुर्न-तैनाती और एएआई की अतिरिक्त श्रमशक्ति की तैनाती अर्जक रोजगार के रूप में करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर विचार करते हुए सी एच ए आर एम के परिपत्र संख्या 9/2018 के द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की 178वीं बैठक में वर्ष 2018 से रोजगार सहायता योजना के अंतर्गत अनुकंपा आधार पर नियुक्ति को बंद करने संबंधी एएआई बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में भी सूचित किया गया है। समित नोट करती है कि एएआई बोर्ड ने अपनी 178वीं बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्णय लिया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना /क्षतिपूर्ति मृतक कर्मचारियों के परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और इस प्रकार ऐसे मामले जहां आज की तारीख तक न्यायिक आदेश को अंतिम रुप दिया गया है , को छोड़कर आर आर दिशानिर्देशों के उप पैरा 13 1(ii) का निरसन करते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से बंद करने का संकल्प लिया गया। समिति आश्चर्य व्यक्त करती है कि एएआई बोर्ड ने इस बात

पर कभी विचार नही किया कि अनुकंपा नियुक्ति के उनके निर्णय से मृत कर्मचारियों के परिवारों/आश्रितों के जीवन निर्वहन पर प्रभाव डालेगा।

समिति यह नोट कर व्यथित है कि जब जरूरतमंद व्यक्तियों की लंबी कतार थी, जो अनुकंपा आधार पर नियुक्ति किए जाने की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, तब बोर्ड ने नागर विमानन मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श किए बिना तथा पीड़ित परिवारों की वित्तीय और सामाजिक स्थिति पर विचार किये बिना अनुकंपा आधार पर नियुक्ति योजना को बंद करने का निर्णय कैसे लिया। एएआई बोर्ड के निर्णय ने बहुत से पीड़ित लोगों और उनके परिवार के सदस्यों का जीवन अंधकारमय बना दिया। समिति इस बात पर भी चिंता व्यक्त करती है की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति बंद करने की एएआई बोर्ड द्वारा 2018 में लिए गए निर्णय ने न केवल श्यामल कुमार दास की आजीविका को खतरे में डाल दिया है बल्कि इसने 45 अन्य व्यक्ति, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 2008 से अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए अपनी बारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, की भी आजीविका को खतरे में डाल दिया है।

यदि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा सूची में कोई उम्मीदवार शेष न होते तो समिति एएआई बोर्ड द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति बंद करने के निर्णय की सराहना करती। अतः समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि नागर विमानन मंत्रालय पीड़ित परिवार के आश्रित व्यक्तियों की संख्या, उनकी वित्तीय और सामाजिक दायित्व आदि को ध्यान में रखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति बंद करने के एएआई बोर्ड के वर्ष 2018 में लिए गए निर्णय की सहानुभूति पूर्वक समीक्षा और पुनर्विचार करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें ताकि लंबे समय से लंबित इस मांग का सौहार्दपूर्ण समाधान किया जा सके।''

5. नागर विमानन मंत्रालय ने अपने की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन में याचिका समिति के उक्त सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के सबंध में अपना व्यापक उत्तर निम्नवत प्रस्तुत किया है –

"i. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) के प्रशासनिक नियंत्रण में एक अनुसूची "क' मिनीरत्न श्रेणी-I सीपीएसई है, जिसका गठन दिनांक 01 अप्रैल, 1995 को संसद के अधिनियम यथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (94 का 55) द्वारा किया गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास नियमों और विनियमों (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भर्ती और पदोन्नति) विनियम, 2020) का अपनी व्यवस्था है और एएआई अधिनियम से प्राप्त शक्तियों के आधार पर इन नियमों को तैयार करने का अधिकार है। भाविप्रा बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों की नियुक्ति के मामला में स्वयं स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और इस प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकरण अध्यक्ष, भाविप्रा हैं।

ii. अनुकंपा आधार पर भाविप्रा, कोलकाता में अपनी नियुक्ति में अनावश्यक विलंब के संबंध में श्री श्यामल कुमार दास के अभ्यावेदन पर अपनी नवीं रिपोर्ट में याचिका समिति द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में आगे चर्चा करने के लिए, सचिव, नागर विमानन ने अध्यक्ष, भाविप्रा और उनकी टीम के साथ एक बैठक की है। बैठक के कार्यवृत्त अनुलग्नक में संलग्न हैं।

iii. बैठक में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रविष्टियों के आधार पर निम्नलिखित बिंदु उभर कर आए हैं:

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पूर्व सहायक मैकेनिक, स्वर्गीय श्री सुशील कुमार दास का भतीजा श्री श्यामल कुमार दास, कर्मचारी पर आश्रित नहीं था और इसलिए वह 'परिवार' के

परिभाषा में सम्मिलित नहीं हैं। तथापि, दिनांक 05.10.2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश का अनुपालन करते हुए, याचिकाकर्ता का नाम नियोजन सहायता योजना के अंतर्गत परिनियोजन की प्रतीक्षा कर रहे 'डी' वर्ग के व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उन्हें इस विषय में अवगत कर दिया है कि बिना उनकी आय पर विचार किए, जब भी उनकी बारी आएगी, उन्हें अनुकंपा-आधार पर नियुक्त किया जाएगा। पूर्वोक्त सूची में उनका नाम क्रमांक 48 पर है।

- दिनांक 20.01.2021 को याचिका समिति की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ हुई बैठक में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने इस मामले में कानूनी राय लेने का सुझाव दिया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में श्री श्यामल कुमार दास की अनुकंपा नियुक्ति के मामले की व्यवहार्यता को समझने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) की कानूनी राय प्राप्त की गई, एवं उनका यह मत था कि 'अगर आने वाले पाँच वर्षों में ग्रुप-डी में कोई रिक्ति नहीं निकलती, एवं जब तक श्री श्यामल कुमार दास साठ वर्ष के हो जाएंगे, प्रतीक्षा-सूची में उनकी वरीयता के बावजूद, श्री श्यामल कुमार दास को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कोई भी परिनियोजन/नियोजन प्रदान नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, ये मानते हुए कि आने वाले पाँच वर्षों में ऐसी कोई रिक्ति निकलती है, श्री श्यामल कुमार दास को अपने अपने बारी की प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि उनकी बारी आने से पहले सूची में उनके ऊपर 47 व्यक्तियों को यह विकल्प दिया जाएगा।

- प्रस्तुत मामले को एएआई द्वारा मौजूदा नियमों और विनियमों की सीमाओं के भीतर विधिवत प्रक्रियागत किया गया है।
- दिल्ली और मुंबई हवाईअड्डों के निजीकरण से एएआई के मौजूदा कर्मचारी पहले ही अधिशेष हो चुके हैं, जिससे 4000 से अधिक अधिशेष कर्मचारियों का पूल सृजित हो गया है। इसके अतिरिक्त, 6 अन्य हवाईअड्डे सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) योजना के अंतर्गत लाए जा चुके हैं, जिससे अधिशेष कर्मचारियों की संख्या में और वृद्धि होगी।
- प्रतीक्षा-सूची में श्री श्यामल कुमार दास से आगे 47 लोग हैं। अधिक महत्व दे कर श्री श्यामल कुमार दास को क्रमबाह्य अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने से कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, चूंकि प्रतीक्षा सूची में अन्य उम्मीदवार भी समान व्यवस्था की मांग कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनुकंपा-आधार पर नियोजन की मांग कर रहे अन्य सभी आवेदकों के मांग को इंकार कर पाना मुश्किल हो जाएगा।
- वर्ष 2008 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा-आधार पर नियुक्ति बंद कर दी गयी है, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसरण में श्री श्यामल कुमार दास का नाम प्रतीक्षा सूची में वर्ष 2010 में शामिल किया गया। वर्ष 2008 के बाद से, जब अनुकंपा नियुक्ति बंद कर दी गई थी, और श्री श्यामल कुमार दास का नाम शामिल किए जाने तक ऐसे सभी मामलों की समीक्षा की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पर भारी वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।
- हवाई अड्डों के निजीकरण के कारण बड़ी संख्या में उत्पन्न हुए अधिशेष कर्मचारी के साथ अनुकंपा नियुक्तियों का भारतीय

विमानपत्तन प्राधिकरण पर भारी आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे संगठन के आर्थिक स्थिति पर असर होगा।

निष्कर्ष :

इन उपर्युक्त प्रविष्टियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए संस्तुतियों को लागू करना संभव नहीं होगा।

टिप्पणियां/सिफारिशें

अनुकंपा के आधार नियुक्ति के उन सभी मामलों पर विचार करना जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के कगार पर हैं

6. श्री श्यामल कुमार दास का अनुकंपा के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कोलकाता में नियुक्ति में अत्यधिक विलंब और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में दिए गये अभ्यावेदन की विस्तृत जांच के दौरान समिति ने नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए वृत्तांत का सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हुए नोट किया था कि श्री श्यामल कुमार दास के मामले पर 14-06-1989 को आयोजित रोजगार सहायता समिति की बैठक में विचार किया गया था, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं की गई थी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की रोजगार सहायता योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदक दिवंगत कर्मचारी स्वर्गीय सुशील कुमार दास पर आश्रित नहीं था। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 05-10-2010 के आदेश के अनुपालन में श्री श्यामल कुमार दास का नाम क्र.सं 48 में रोजगार सहायता योजना के तहत तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे 'डी' श्रेणी के व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया था और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उन्हें यह बता दिया गया था कि उनकी आयु पर विचार किए बिना उनकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर की जाएगी।

7. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिए गए वक्तव्यों को देखते हुए समिति ने महसूस किया था कि मंत्रालय को इस मुद्दे पर कुछ लीक से हट कर नीति निर्माण का करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति जो अनुकंपा के आधार पर भारतीय विमानपत्तन

प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि वे कुछ वर्षों में सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु प्राप्त करने जा रहे हैं, को अतिरिक्त महत्व देते हुए विचार करने के प्रति तत्परता दिखानी चाहिए। इसलिए, समिति ने सिफारिश की थी कि नागर विमानन मंत्रालय को बिना और समय नष्ट किये अभ्यावेदनकर्ता श्री श्यामल कुमार दास के मामले सहित ऐसे सभी मामलों पर अनुकंपा के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करना चाहिए ।

8. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत 'की गई कार्रवाई उत्तरों', जिनमें केवल उन्हीं तर्क/दलीलों को पुनः दोहराया गया है जो उन्होंने पहले समिति के समक्ष प्रस्तुत किए थे, से समिति कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकाल पाई है । समिति का मानना है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा के आधार पर श्री श्यामल कुमार दास की नियुक्ति के मुद्दे पर उन व्यक्तियों /परिवारों के प्रति संवेदनशीलता के वांछित स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई है जो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे और पहले से ही निराशा के स्तर तक पहुंच चुके थे। याचिका समिति, लोकसभा के लिए यह निराशा का विषय है कि नागर विमानन मंत्रालय लंबे समय से लंबित मुद्दे का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा इस तथ्य के बावजूद नहीं कर पाया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अपने नियम और विनियम अर्थात, एएआई अधिनियम, 1994 के अंतर्गत अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भर्ती और पदोन्नति) विनियम 2020 है, जो बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन को अधिकार देता है।

9. इसलिए समिति अपनी पूर्व सिफारिश दोहराती है कि नागर विमानन मंत्रालय को इस मुद्दे पर श्री श्यामल कुमार दास जैसे लोगों की पीड़ा महसूस करते हुए कुछ विशेष नीति बनानी चाहिए और अभ्यावेदनकर्ता श्री श्यामल कुमार दास सहित सभी 48 व्यक्तियों की उम्मीदवारी पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए उन्हें अतिरिक्त महत्व देकर,फिर से विचार करने की अपनी तत्परता प्रदर्शित करनी चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति अनुकंपा के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में नियुक्ति के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और एक दो वर्षों में सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु प्राप्त कर लेंगे । समिति इस संबंध में की गई विशिष्ट और ठोस कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

<u>भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति को बंद करना - समीक्षा की आवश्यकता</u>

10. समिति को अनुकंपा के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कोलकाता में उनकी नियुक्ति में अत्यधिक विलंब के संबंध में श्री श्यामल कुमार दास के अभ्यावेदन की विस्तृत जांच के दौरान बताया गया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड की 178 वीं बैठक में दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों की जनशक्ति की फिर से तैनाती के मुद्दे के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अतिरिक्त जनशक्ति की लाभपूर्ण तैनाती सुनिश्चित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर विचार करने के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सीएचएआरएम परिपत्र सं. 9/2018 के माध्यम से वर्ष 2018 से रोजगार सहायता योजना के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रणाली को बंद करने का निर्णय लिया गया है। समिति ने नोट किया था कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड ने अपनी 178 वीं बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी

निर्णय लिया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में मृत कर्मचारी के आश्रितों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाएं/मुआवजा मृत कर्मचारी की पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है और इस प्रकार, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां न्यायिक आदेश को अंतिम रूप दिया गया है, आर एंड आर दिशा-निर्देशों के उप-पैरा 13 1 (ii) को निरस्त करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रणाली को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया है। समिति को आश्चर्य है कि क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड ने कभी इस बात पर विचार किया था कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करने की प्रणाली को बंद करने के उनके निर्णय से मृतक कर्मचारियों के परिवारों/आश्रितों के निर्वाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

11. समिति ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा नियुक्ति को बंद करने के लिए 2018 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय पर चिंता व्यक्त की थी, जिससे न केवल अभ्यावेदनकर्ता श्री श्यामल कुमार दास बल्कि 47 अन्य व्यक्तियों की आजीविका की उम्मीद खतरे में पड़ गई थी जो 2008 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। समिति ने यह नोट कर निराशा व्यक्त की थी कि जब ऐसे व्यक्तियों की एक लम्बी श्रृंखला थी जो कई वर्षों से अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब बोर्ड ने नागर विमानन मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परामर्श किए बगैर तथा पीडित परिवारों के आर्थिक और सामाजिक स्तर पर विचार किए बगैर अनुकंपा नियुक्ति योजना को समाप्त करने का कष्टप्रद निर्णय कैसे लिया। यदि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा सूची में कोई व्यक्ति नहीं बचता तब समिति एएआई के बोर्ड द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा नियुक्ति को समाप्त करने के निर्णय की प्रशंसा करती।

12. इसलिए, समिति ने नागर विमानन मंत्रालय से पुरजोर सिफारिश की थी कि पीडित परिवार के आश्रित व्यक्तियों की संख्या, उनकी वित्तीय और सामाजिक जिम्मेदारियों आदि के मद्देनजर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अनुकंपा नियुक्तियों की प्रणाली को समाप्त करने के लिए वर्ष 2018 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के द्वारा लिए गए निर्णय पर सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा और पुनर्विचार करने हेतु अविलंब कार्यवाही करे ताकि बहुत समय से लंबित इस मामले का निर्धारित समय-सीमा में सौहार्दपूर्ण समाधान हो सके और आश्रित व्यक्ति भी संतुष्ट हो जाएं।

13. नागर विमानन मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तरों में बताया है कि श्यामल कुमार दास के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कोलकाता में उनकी नियुक्ति में अत्यधिक विलंब के बारे में उनके अभ्यावेदन पर याचिका समिति के नौवें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में प्रविधियों पर विचार-विमर्श करने के मद्देनजर, नागर विमानन मंत्रालय के सचिव ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के साथ एक बैठक बुलायी। समिति को यह भी बताया गया है कि श्री श्यामल कुमार दास के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा नियुक्ति के मामले पर विचार करने की संभाव्यता तलाशने के लिए अपर महाधिवक्ता ने अपनी कानूनी राय देते हुए यह सुझाव दिया है कि यदि समूह 'घ' में अगले 05 वर्षों तक जब श्री श्यामल कुमार दास 60 वर्ष के हो जाएंगे, कोई रिक्ति नहीं आती है तब प्रतीक्षा सूची में उनकी वरिष्ठता के बावजूद श्री श्यामल कुमार दास को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कोई नियुक्ति/रोजगार नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा, यह मान लिया जाए कि अगले लगभग 05 वर्ष में ऐसी कोई रिक्ति आती है तब श्री श्यामल कुमार दास को

अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि उनकी बारी आने से पहले 47 व्यक्ति उनसे ऊपर हैं, पहले उन्हें विकल्प दिया जाएगा। उपर्युक्त के मद्देनजर नागर विमानन मंत्रालय ने याचिका समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सकारात्मक कार्रवाई करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

14. याचिका समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की संभाव्यता पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाने के नागर विमानन मंत्रालय तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए, समिति नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अपर महाधिवक्ता की कानूनी राय के आधार पर व्यक्त दृढ़ कथन के मद्देनजर संसदीय समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई असमर्थता पर अप्रसन्नता व्यक्त करती है। वस्तुत: समिति अभ्यावेदनकर्ता श्री श्यामल कुमार दास सहित उन सभी 48 आकांक्षी व्यक्तियों जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति मांग रहे हैं तथा जो अगले कुछ वर्षों में सेवानिवृत्ति की आयु पर पहुंच जाएंगे, के धूमिल भविष्य का अनुमान लगाकर चिंता व्यक्त करती है। इस तथ्य के मद्देनजर कि उस समय कानूनी स्थिति को पहली वरीयता पर रखने की जरुरत नहीं होती है जब अनुकंपा आधार पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करनी होती है, क्योंकि इसके नामकरण से स्वयं स्पष्ट होता है कि यह 'अनुकंपा' है, समिति एक बार पुन: अपने पूर्व सिफारिश को दोहराती है कि पीडित परिवारों के आश्रित व्यक्तियों की संख्या, उनकी वित्तीय और सामाजिक जिम्मेदारियों आदि के मद्देनजर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अनुकंपा नियुक्तियों की प्रणाली को समाप्त करने के लिए वर्ष 2018 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के द्वारा लिए गए निर्णय पर सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा और पुनर्विचार करने हेतु अविलंब कार्यवाही करे ताकि बहुत समय से लंबित इस मामले का निर्धारित समय-सीमा में सौहार्दपूर्ण

समाधान हो सके। समिति इस मामले में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की प्रक्रिया की उत्सुकता से प्रतीक्षा करेगी।

नई दिल्ली;
13 दिसंबर, 2021
22 अग्रहायण, 1943 (शक)

श्री हरीश द्विवेदी,
सभापति,
याचिका समिति

अनुबंध

सचिव, नागर विमानन की अध्यक्षता में श्री श्यामल कुमार दास की अनुकंपा आधार पर एएआई, कोलकाता में नियुक्ति में अत्यधिक देरी के संबंध में उनके अभ्यावेदन पर याचिका समिति द्वारा अपनी नवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

सचिव, नागर विमानन द्वारा श्री श्यामल कुमार दास की अनुकंपा आधार पर एएआई, कोलकाता में नियुक्ति में अत्यधिक देरी के संबंध में उनके अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सीओपी) द्वारा अपनी नवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की गई।

2. बैठक में संयुक्त सचिव (आरए), अध्यक्ष/सदस्य (एचआर), एएआई और कार्यपालक निदेशक (एचआर), एएआई उपस्थित थे।

3. सीओपी ने अपनी नवीं रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

- समिति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु लंबे समय से लंबित मुद्दे के निपटने के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों से पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। इसलिए, समिति को दृढ़ता से लगता है कि मंत्रालय को इस मुद्दे पर लीक से अलग नीति सृजित करनी चाहिए और ऐसे लोगों को अतिरिक्त महत्व देने पर विचार करने के लिए अपनी तत्परता को प्रदर्शित करना चाहिए, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में नियुक्ति हेतु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही वर्षों में अपनी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेंगे। इसलिए, समिति यह सिफारिश करना चाहती है कि नागर विमानन मंत्रालय और अधिक समय गँवाए बिना श्री श्यामल कुमार दास के मामले सहित अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए अपनी उम्मीदवारी पर कार्रवाई हेतु प्रतीक्षाधीन ऐसे सभी मामलों पर विचार करे। मंत्रालय द्वारा समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।
- यद्यपि समिति, भाविप्रा बोर्ड द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा नियुक्तियों को रोकने के निर्णय की सराहना करती, यदि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतीक्षासूची में कोई उम्मीदवार नहीं बचा होता। इसलिए, समिति, सुदृढता से सिफारिश करती है कि नागर विमानन मंत्रालय पीड़ित परिवार के आश्रित व्यक्तियों की संख्या, उनकी वित्तीय और सामाजिक जिम्मेदारियां, आदि को ध्यान में रखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति को बंद करने हेतु वर्ष 2018 में भाविप्रा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय की सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा और पुनर्विचार करे ताकि इस लंबे समय से लंबित मामले का एक निर्दिष्ट समय-सीमा

के भीतर सौहार्दपूर्वक हल किया जा सके। समिति को इस रिपोर्ट को सदन को प्रस्तुत करने के तीन महीने के भीतर मामले में सरकार द्वारा की गई विशिष्ट कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

4. बैठक के दौरान, अध्यक्ष, एएआई ने सचिव, नागर विमानन मंत्रालय को संबोधित किया कि एएआई के प्रतिनिधि लोक सभा सचिवालय में श्री श्यामल कुमार दास के मामले में 20.01.2020 को सीओपी के समक्ष उपस्थित थे। बैठक में अध्यक्ष, एएआई ने इस मामले में कानूनी सलाह मांगने का सुझाव दिया। श्री श्यामल कुमार दास की एएआई में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के मामले पर विचार करने की व्यवहार्यता तलाशने के उद्देश्य से, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) का विधिक मत प्राप्त किया गया जिन्होंने मत व्यक्त किया है कि 'यदि अगले लगभग 05 वर्ष तक ग्रुप-डी में कोई रिक्ति उत्पन्न नहीं होती है, तब तक श्री श्यामल कुमार दास की आयु 60 वर्ष हो जाएगी, और प्रतीक्षा सूची में अपनी वरिष्ठता के बावजूद, श्री श्यामल कुमार दास को एएआई में कोई नियुक्ति/रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, यदि मान लिया जाए कि अगले लगभग 05 वर्ष में ऐसी कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, श्री श्यामल कुमार दास को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, चूंकि 47 व्यक्ति उनसे ऊपर हैं, जिन्हें इनकी बारी आने से पूर्व विकल्प प्रदान किया जाएगा।'

5. इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान एएआई ने निम्नलिखित निवेदन किए:-

i. श्री श्यामल कुमार दास एएआई के कर्मचारी के आश्रित नहीं थे, इसलिए वे परिवार की परिभाषा के दायरे में नहीं आते। तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 05.10.2020 के आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता का नाम, रोजगार सहायता योजना के अंतर्गत तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे 'डी' श्रेणी के व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है।
ii. प्रस्तुत मामले को एएआई द्वारा मौजूदा नियमों और विनियमों की सीमाओं के भीतर विधिवत प्रक्रियागत किया गया है।
iii. दिल्ली और मुंबई हवाईअड्डों के निजीकरण से एएआई के मौजूदा कर्मचारी पहले ही अधिशेष हो चुके हैं, जिससे 4000 से अधिक अधिशेष कर्मचारियों का पूल सृजित हो गया है। इसके अतिरिक्त, 6 अन्य हवाईअड्डे पीपीपी के अंतर्गत लाए जा चुके हैं, जिससे अधिशेष कर्मचारियों की संख्या में और वृद्धि होगी।
iv. श्री श्यामल कुमार दास से पूर्व प्रतीक्षा सूची में 47 व्यक्ति हैं। श्री श्यामल कुमार दास को बिना बारी अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के विधिक परिणाम हो सकते हैं क्योंकि प्रतीक्षा सूची में शामिल अन्य अभ्यर्थी भी इसी प्रकार की व्यवस्था की मांग कर सकते हैं।

v. यदि श्री श्यामल कुमार दास के मामले पर बिना बारी के पुनर्विचार किया जाता है, तो अनुकम्पा आधार पर रोजगार मांगने वाले आवेदकों का मार्ग खुल जाएगा जिनको रोक पाना कठिन होगा। इससे एएआई के लिए भी भारी वित्तीय बोझ बढ़ेंगे।

vi. एएआई में 2008 से अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा रहा है।

vii. एएआई में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति का मुद्दा एएआई के बोर्ड की 178वीं बैठक में रखा गया था जिसमें भारत सरकार बनाम शशांक गोस्वामी और अन्य (सिविल अपील संख्या 2008 की 6224) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत मृत कर्मचारियों के परिवार को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति की मात्रा पर विचार करते हुए विस्तृत चर्चा के बाद बोर्ड ने एएआई में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति बंद करने का संकल्प लिया।

6. विस्तृत विचार विमर्श के बाद, सचिव (नागर विमानन) ने एएआई को सीओपी की नवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक का समापन हुआ।

****